राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. क्रिमिनल विविध (याचिका) संख्या 776/2018

मदनलाल पारीक पुत्र श्री रामबख्शराम, जाति पारीक, निवासी बरजांगसर, वर्तमान निवासी वार्ड नंबर 19, सरदारशहर, जिला चूरू। -----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य

2. मदनलाल पारीक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पारीक, निवासी बरजांगसर, वर्तमान निवासी वार्ड नंबर 9, सरदारशहर, जिला चूरू। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री शीतल कुंभट.

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री श्रवण सिंह, पीपी.

की ओर से सुश्री प्रियंका बोराणा

श्री धीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

<u>18/09/2024</u>

1. धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस याचिका में याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन सरदारशहर, जिला चुरू में दर्ज धारा 420, 406 आईपीसी के तहत

दिनांक 23.02.2018 की एफआईआर संख्या 76/2018 और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही, यदि कोई हो, को रद्द करने की मांग की है।

2. तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

3. 23.02.2018 को शिकायतकर्ता मदन लाल पारीक पुत्र जगदीश प्रसाद पारीक ने सरदारशहर (जिला चुरू) पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उसने याचिकाकर्ता-आरोपी को 01.04.2013 और 28.06.2014 के बीच कुल ₹70,00,000 उधार दिए थे। यह राशि बैंकों में लागू ब्याज दर पर उधार दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अब राशि चुकाने से इनकार कर दिया है; इसलिए, यह अनुरोध किया गया कि शिकायतकर्ता का पैसा उसे वापस लौटाया जाए।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि शिकायत में निहित आरोप पूरी तरह से सिविल प्रकृति के हैं और धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए अपेक्षित कथन अनुपस्थित हैं। इसलिए, यह कथित अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करता है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने धन वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर करने के बजाय वर्तमान एफआईआर दर्ज की है और वर्तमान विवाद को आपराधिक अपराध का रूप देने का प्रयास किया है, जो पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है, केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने और समयबद्ध ऋण राशि की वसूली के लिए। उनके अनुसार, यह एफआईआर और उसके अनुसार सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला था।

5. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहायता से विद्वान लोक अभियोजक ने इस प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि एकत्रित और संकेतित सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ

आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत एक स्पष्ट मामला बनता है। शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने आरोपित एफआईआर का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से, याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ धारा 406 और 420 के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनता है। याचिकाकर्ता ने एक बड़ी राशि का ऋण लिया और फिर भी वह भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता शुरू से ही भुगतान करने का इरादा नहीं रखता था। उनका तर्क है कि यदि मामले को आगे बढ़ने दिया जाता है, तो यह निश्चित है कि इससे याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए, इस न्यायालय को धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एफआईआर को रद्द नहीं करना चाहिए।

6. मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. प्रतिद्वंद्वी तर्कों में जाने से पहले, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर एक नज़र डालना उचित होगा, जिसने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आधार बनाया। संक्षेप में, उक्त शिकायत में जो आरोप लगाया गया था वह इस प्रकार था:

सेवा मे,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

चूरू

विषयः- मैसर्स स्टार स्टील के मालिक श्री मदनलाल पुत्र श्री रामबक्सराम पारीक बरजांगसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरू हाल मैसर्स स्टार स्टील, बीकानेर रोड़ सरदारशहर जिला चूरू के

द्वारा रुपये 70,00,000 (अखरे सत्तर लाख रुपये) का भुगतान नहीं करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सविनय अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिनांक 01.04.2013 को रुपये 16,00,000/- ,दिनांक 01.04.2013 को रुपये 30,00,000/- दिनांक 01.04.2013 को रुपये 10,00,000/-, दिनांक 03.06.2013 को रुपये 9,00,000/-, दिनांक 28.06.2014 को रुपये 5,00,000/- (कुल सत्तर लाख रुपये) 70,00,000/- जिसकी लिखापढ़ी दिनांक 29.09.2014 को हुई (प्रति सलंग्र है) यह रकम बैंक ब्याज पर दी गई थी तथा रकम जल्दी से जल्दी रकम भुगतान का कहा गया। लेकिन अब रकम देने से मना कर दिया। इस कारण मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया बिना किसी विलम्ब के कार्यवाही कर मुझे तेरी रकम दिलवाकर अनुग्रहित करवाये, ताकि मैं मेरी आजीविका एवं परिवार का जीवन निर्वाह कर सकू ं।

अग्रिम सधन्यवाद

8. एफआईआर के उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, मैं सुश्री प्रियंका बोराना और सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत नहीं हूं कि यदि मामले को आगे बढ़ने दिया जाता है, तो यह निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराएगा।

9. उपरोक्त एफआईआर का एकमात्र आधार ऋण के रूप में अग्रिम धन की वसूली प्रतीत होता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त एफआईआर, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता से लिए गए ऋण की राशि का

कथित रूप से भुगतान न करने के कारण शिकायतकर्ता के कहने पर दर्ज की गई थी।

10. आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए प्रदान की गई सजा से संबंधित है, जिसे आईपीसी की धारा 405 में समझाया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आपराधिक विश्वासघात होने से पहले, सौंपना होना चाहिए। कानून स्पष्ट रूप से धन के साधारण अग्रिम/निवेश और धन सौंपने के बीच अंतर को पहचानता है। किसी वादे, समझौते या अनुबंध का उल्लंघन मात्र, धारा 405 भारतीय दंड संहिता में निहित आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है, जब तक कि इसमें स्पष्ट रूप से सौंपने का मामला न हो।

11. ब्याज के बदले ऋण के रूप में धन देने के मामले में, सौंपने का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए, आपराधिक विश्वासघात का कोई सवाल ही नहीं उठता। परिणामस्वरूप, धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय कोई भी अपराध याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया गया कहा जा सकता है, भले ही रिकॉर्ड पर रखी गई सभी सामग्री को अंकित मूल्य पर लिया जाए।

12. अब धारा 415 के तहत आरोप पर आते हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय है, अनुबंधों के संदर्भ में, केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच का अंतर धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभन और मनःस्थिति पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता द्वारा ऋण राशि वापस न कर पाने की मात्र अक्षमता धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने का कारण नहीं बन सकती, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा न दिखाया जाए, क्योंकि यही वह मानसिकता है जो अपराध का सार है। भले ही शिकायत और सामग्री में सभी तथ्यों को उनके

अंकित मूल्य पर लिया जाए, फिर भी ऐसा कोई बेईमानीपूर्ण प्रतिनिधित्व या प्रलोभन नहीं पाया जा सकता या अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

13. विधानमंडल का इरादा केवल उन उल्लंघनों को आपराधिक बनाना है जो धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रामक प्रलोभनों के साथ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनैच्छिक और अकुशल हस्तांतरण होते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत।

14. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मैं इस विचार पर हूँ कि एकमात्र मुद्दा जिसका निर्धारण करने की आवश्यकता है वह है "पक्षों के बीच विवाद नागरिक प्रकृति का है या नहीं"। संक्षेप में, इस बात से कोई बच नहीं सकता कि यह विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और इसके संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

15. संबंधित एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता ने दो तरह की दलीलें दी हैं। पहली, कि पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है। दूसरी, उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर याचिकाकर्ता को ऋण राशि वसूलने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। दोनों दलीलें सही हैं।

16. प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406 या 420 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित कोई अपराध नहीं बनता है, साथ ही धोखाधड़ी का मामला बनाने के लिए अपेक्षित कथन भी अनुपस्थित हैं।

17. इस स्तर पर कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी अनावश्यक रूप से पक्षों के अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, को प्रभावित कर सकती है। कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

18. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है और आरोपित एफआईआर तथा उससे उत्पन्न कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

19. याचिका को पूर्वोक्त शर्तों के तहत स्वीकार किया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।